

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**  
**(Office of the Registrar General, India)**

New Delhi, the 10th May, 2013

**G.S.R. 180.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Office of the Registrar General, India and Directorates of Census Operations, Data Entry Operator Grade 'B' (Group 'C' post) Recruitment Rules 2012, namely :-

1. (1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India and Directorates of Census Operations, Data Entry Operator Grade 'B' (Group 'C' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Office of the Registrar General, India and Directorates of Census Operations, Data Entry Operator Grade 'B' (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2012, in column (3), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :-

“General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non Ministerial”.

[F. No. A-12032/38/99-Ad-II/V]

PANKAJ KUMAR DEVRANI, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. NO. 262, dated the 3rd November, 2012.

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2013

**सा.का.नि. 181.**—एतद्द्वारा राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय तथा राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य के निदेशक के कार्यालयों में (सहायक निदेशक, जनगणना कार्य) भर्ती नियम, 2004 का अधिग्रहण करते हुए ऐसे अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में सहायक निदेशक, जनगणना कार्य समूह 'क' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय तथा राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य के निदेशकों के कार्यालय, सहायक निदेशक, जनगणना कार्य भर्ती नियम, 2013 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण पे बैण्ड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका पे बैण्ड तथा ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा शैक्षिक अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

